न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 237 सन् 2018
पंजीयन दिनांक :– 14.09.2018

श्रीमती गीता पुत्री प्यारचंद पत्नि बालकृष्ण जाति गर्ग निवासी सिरोडी हाल चन्देरिया तहसील व जिला चित्तौडगढ़

–अपीलांट/वादिया

विरूद्ध

1.भेरूलाल पिता शंकरलाल जाति गर्ग–मृतक के बजाय

1.श्रीमती चन्दादेवी पत्नि भेरूलाल जाति गर्ग निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौडगढ़

2. विकास पिता भेरूलाल जाति गर्ग निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौडगढ़

3. हेमराज पिता भेरूलाल जाति गर्ग निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौडगढ़

4. राधा पुत्री भेरूलाल पत्नि रतनलाल जाति गर्ग निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौडगढ़

2. अशोक कुमार पिता मगनीराम जाति गर्ग निवासी सिरोडी तहसील व जिला चित्तौडगढ़

3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ़

--रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़
प्रकरण संख्या 176/2014 रेवेन्यू वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2018

उपस्थित :– 1. अमित नाहर – अधिवक्ता अपीलान्ट/वादिया
2. संजय मौड– रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3

निर्णय **दिनांक :– 07.02.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादिया ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिरोड़ी तहसील चित्तौड़गढ के खसरा नम्बर 1129 से 1138 कुल किता

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

10 कुल रकबा 3.10 है0 कृषि आराजीयात अपीलांट वादिया की माता सुन्दरबाई एवं मामा रेस्पोडेंट प्रतिवादी सं. 1 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है। अपीलान्ट वादिया शंकरलाल की पुत्री सुन्दरबाई की पुत्री है। विवादित कृषि आराजीयात शंकरलाल की है जो अपीलान्ट वादिया की माता होकर अपीलान्ट वादिया के नाना है, जिससे अपीलान्ट वादिया की माता सुन्दरबाई का स्वर्गवास हो जाने से अपीलान्ट का अपने नाना शंकरलाल के विरासत मे 1/2 हक व हिस्सा निहित है, जो घोषित किया जाकर उसी अनुसार बंटवाडा कराया जावे व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अपीलान्ट वादिया की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। जिस पर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने उपस्थित होकर जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली वास्ते तनकियात कायम की व दिनांक 18.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोदिया मे बिना किसी सूचना के नियत की जाकर बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करते हुए कानूनी प्रक्रियाओ व नियमो के विरूद्ध अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादिया ने इस न्यायालय मे दिनांक 07.09.2018 को म्याद बाहर प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के कायम मुकाम बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादिया ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। न्यायहित मे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्ट वादिया ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया ने विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया जिस पर पत्रावली वास्ते तनकियात कायम की गई। पत्रावली वास्ते तनकियात विचाराधीन रहते हुए उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोडिया मे नियत की जाकर अपरिपक्व पत्रावली का बिना किसी लिखित राजीनामे के अवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अवैधानिक होकर अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी ने दोराने बहस निवेदन किया कि अपीलान्ट वादिया विवादित कृषि आराजीयात की खातेदार नही है, न ही अपीलान्ट वादिया का उक्त कृषि आराजीयात पर कभी कब्जा रहा है। अपीलान्ट वादिया सुन्दरबाई की पुत्री रही है, जिसका विवाह बालकृष्ण गर्ग निवासी चन्देरिया के साथ होकर अपने ससुराल मे निवासरत है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट वादिया विवादित कृषि आराजीयात जो रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 3 की पैतृक कृषि आराजीयात है जिसमे किसी प्रकार की घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अपीलान्ट वादिया कराने की अधिकारिणी नही है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने विस्तृत जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोदिया मे नियत हुई जिसमे उभयपक्षकारान उपस्थित हुए जिनको सुना गया व पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि अपीलान्ट वादिया अपने वादपत्र को प्रमाणित कराने मे असफल रही है उसी के आधार पर वादपत्र को निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होने से अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के तहत अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को गुणावगुण पर निरस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये जो विधिसम्मत होने से अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया की ओर से रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मोजा सिरोडी की आराजी नम्बर 1129 से 1138 कुल किता 10 रकबा 3.10 हैक्टेयर कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया जिस पर पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात नियत की गई। पत्रावली वास्ते तनकियात विचाराधीन रहते हुए उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोडिया मे नियत की जाकर अपरिपक्व पत्रावली का बिना किसी लिखित राजीनामे के अवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित कर अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 176/2014 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2018 निरस्त किये जाकर पत्रावली इन निर्देशो के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान के अभिवचनो के अनुसार पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 29.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)